

तारीख हुक्म

06/01/24

पत्रावली पत्र डूही प्रकरण राजा से संबंधित  
 मूल चाद से 113/2021 जरीपे विशेष वारिज  
 किया जा चुका है। बतः प्रमाण राजा को  
 चांगे चलने का कोई दोषितम नहीं रहा है।  
 बतः प्रमाण राजा योग्य नहीं रहे है  
 एवं जरीपे विशेष वारिज बाबत प्रमाण प्रमाण  
 के आधार पर वारिज किया जाता है।  
 प्रमाण अपने नम्बर से प्र दोफ़्त राखिय  
 है।

अखण्ड अधिकारी  
 नावां (डीडवाना-कुचामन)

कुसे  
 म  
 1

